न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 94/2013

1 मुक्तिराम पुत्र रूघनाथ जाति ब्राहम्ण उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम खाटुश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गणपत उम्र 49 वर्ष पुत्र नारायण।
2 गणेश उम्र 39 वर्ष पुत्र नारायण।
3 बरजी धर्मपत्नी चौथूराम उम्र 78 वर्ष।
4 रामलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र चौथूराम।
5 केदारमल उम्र 46 वर्ष पुत्र चौथूराम।
6 तेजपाल उम्र 44 वर्ष पुत्र चौथूराम।
7 पूर्ण उम्र 39 वर्ष पुत्र चाथूराम समस्त जाति बलाई निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 उप पंजियक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ दिनांकित 29.07.2013 द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री एम.आर. बगड़िया आर.ए.एस0 मु. नम्बर 106/2008 टी.आई. अन्तर्गत धारा 226 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 96 / 2013

1 मुक्तिराम पुत्र रूघनाथ जाति ब्राहम्ण उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम खाटुश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गणपत उम्र 49 वर्ष पुत्र नारायण।
2 गणेश उम्र 39 वर्ष पुत्र नारायण।
3 बरजी धर्मपत्नी चौथूराम उम्र 78 वर्ष।
4 रामलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र चौथूराम।
5 केदारमल उम्र 46 वर्ष पुत्र चौथूराम।
6 तेजपाल उम्र 44 वर्ष पुत्र चौथूराम।
7 पूर्ण उम्र 39 वर्ष पुत्र चाथूराम समस्त जाति बलाई निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 उप पंजियक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ दिनांकित 29.07.2013 द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री एम.आर. बगड़िया आर.ए.एस0 मु. नम्बर 106 / 2008 टी.आई. अन्तर्गत धारा 226 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.03.2021

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 106/2008 मे पारित निर्णय दिनांक 29.07.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। दोनो पत्रावलीयों में निर्णय की प्रतियां अलग—अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने आवेदन अन्तर्गत धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 515 वाके ग्राम खाटूश्यामजी प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने का कथन किया है काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज कर अप्रार्थीगण का काउन्टर आवेदन स्वीकार कर अपीलांट को पाबन्द किया है। इन दोनो आदेशों से व्यथित होकर अपीलांट ने यह दोनो अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी/अपीलार्थी के पूर्वज रूघनाथ का नाम विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी में संवत 2009 से लगातार दर्ज होता रहा है तथा खसरा गिरदावरी कानूनन किसी आराजी पर उक्त व्यक्ति का विधिक कब्जा होना प्रकट करती है तथा यह भी विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि कब्जेदार को बिना विधिक प्रकिया बेदखल नहीं किया जाना चाहिए तथा न्यायालय को टी.आई. प्रार्थना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्र में कब्जेदार के पक्ष में स्थगनादेश जारी करना चाहिए। विवादित आराजी के उप कृषक के कॉलम में भी प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज रहा है तथा अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी दफा–19 आर.टी. एक्ट के तहत दर्ज की गयी है जबकि स्वीकृत रूप से कानूनी स्थिति यह है कि दफा 19 आर.टी. एक्ट के तहत दर्ज की गयी है जबकि स्वीकृत रूप से कानूनी स्थिति यह है कि दफा–19 के तहत खातेदारी तभी प्रदान की जा सकती है जबकि उक्त व्यक्ति का नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से अर्थात संवत 2012 से पूर्व से खसरा गिरदावरियों में दर्ज होता रहा हो, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में स्थिति इसके कतई विपरित रही है। खसरा गिरदावरी में संवत 2009 से 2027 तक लगातार वादी के पिता का नार्म दर्ज हुआ था इसके बावजूद भी गैर कानूनी ढंग से खातेदारी अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज करना स्पष्टतया विधि विरूद्व कृत्य साबित है। विचारण न्यायालय द्वारा अपना निर्णय केवल इस आधार पर जारी किया गया कि अन्तिम गिरदावरियों मे वादी के पिता का नाम नहीं है परन्तु यह स्थिति मूल वाद में उभयपक्ष की साक्ष्य रिकार्ड पर ली जाकर ही तैयार किया जाना चाहिये इसके अभाव में टी. आई. के माध्यम से ऐसा जटिल प्रश्न निर्णित किया जाना पूर्णतया विधि विरूद्व होने से आदेश निरस्तनीय है। विवादित आराजी का लगान भी प्रार्थी के पिता रूघनाथ द्वारा अदा किया जाता रहा जिसकी लगान रसीदे भी वादी के पास है। विचारण न्यायालय द्वारा अपना आदेश इस आधार पर भी जारी किया गया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिसल हकीयत संवत 2009 से 2027 में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है जबकि उक्त दस्तावेज मिसल हकीयत नहीं है बल्कि जमाबांदी मात्र है क्योंकि मिसल है केवल संवत 1998 में ही तैयार की गयी थी। टी.आई. प्रार्थना पत्र में केवल प्रथम दृष्टया मामले के लिए कब्जा काश्त देखा जाना है तथा जिसके लिए खसरा गिरदावरीयों में नाम अंकन होना अकाट्य प्रमाण है, चूंकि खातेदारी में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है तथा उनके द्वारा गलत इन्द्राज के आधार पर भूमि को खुर्द बुर्द किया जाना पूर्णतया सम्भव है। विधि द्वारा यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पक्षकार द्वारा कोई मामला किसी अचल सम्पत्ति बाबत किसी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दिया जाता है तब ऐसी दशा में कानूनन उक्त न्यायालय को किसी भी पक्षकार को होने वाली संभावित क्षति से बचाने के लिए तथा वाद विधिवता बढ़ने से रोकने के लिए उक्त सम्पत्ति को संरक्षित किया जाना चाहिये। विद्वान अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 515 रकबा 0.71 हैक्टेयर वाके ग्राम खाटूश्यामजी जिसके पुराने खसरा नम्बर 1654 का प्रार्थी न तो खातेदार है न ही काबिज काश्तकार है तथा ना ही उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है वास्तविक स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी एवं इनके पूर्वजों का कभी भी कोई सम्बंध सरोकार नहीं रहा है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक खाते, कब्जे काश्त की रही है तथा वर्तमान में भी है। उपरोक्त भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही अप्रार्थीगण के पूर्वज उदा, चौथू व नारायण अपने पिता डालूराम के जीवनकाल से ही अप्रार्थीगण के पूर्वज उदा, चाथू व नारायण अपने पिता डालूराम के जीवनकाल से ही काश्त करते आ रहे है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल बंदोबस्त संवत 2009 से 2027 अप्रार्थीगण के पूर्वजों उदा, चौथू, नारायण के नाम से बनायी गई है। खसरा गिरदावरियों के खातेदारी के कॉलम में प्रार्थी के पिता का नाम गलत रूप से चला आ रहा था जिसे नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 10.09.1961 के द्वारा दुरूस्त कर दिया गया। मौके अनुसार बनी अंतिम खसरा गिरदावरी संवत 2031–33 प्रार्थी व उसके पिता का नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी का दावा दायरी तथा उसके काफी वर्षो पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं होना साबित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा रिकार्डेड खातेदारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी। विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.सी. 1998 पेज 35, आर.आर.डी. 1997 पेज 30,आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 123 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने संवत 2009 से 2023 की खसरा गिरदावरी के अंकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था। अनावेदकगण का कथन रहा है कि विवादित भूमि उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में विवेचन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 515 रकबा 0.71 हैक्टेयर पुराने खसरा नम्बर 1654 की अप्रार्थीगण को दफा 19 के तहत खातेदारी प्राप्त हुई है तथा अंतिम गिरदावरियों में एवं भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई मिसल हकीयत संवत 2009 से 2027 में अप्रार्थीगण के पूर्वज उदा, चौथा, नारायण पिता डालूराम की खातेदारी मानते हुए कृषक कॉलम में नाम अंकित है। वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर बिन्दुवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है एवं अनावेदकगण का आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नही है। विधि अनुसार पक्षकारो के हक हकुको का निर्धारण मूलवाद में होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारो में वाद बाहुल्यता नही हो एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो। इसे दृष्टिगत रखते हुये उभयपक्ष को ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाना चाहिए था विचारण न्यायालय ने केवल मात्र अनावेदकगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को ताफैसला वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 515 वाके ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खाटूश्यामजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रणवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर